संख्या–415 /XV-3/2019-08(24)/2018

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) **देहरादूनः दिनांक 28 जून, 2019**

विषय– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में "अनुसूचित जनजाति के लिये जनजाति उपयोजना (टी०एस०पी०)" अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–709/अनु० जाति० (TSP)/2019–20 दिनांक 21.05.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु मत्स्य विभागन्तर्गत संचालित जनजाति क्षेत्र उपयोजना (Sub-Plan for Sheduled Tribal Areas) **–राजि, थारू एवं बोक्सा जनजातियों के लिये फिश फार्मिंग** योजना में वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल लागत रू० 108.825 लाख {रू० 69.995 (देय अनुदान) + रू० 38.83 लाख (लााभार्थी अंश)} की योजना हेतु संलग्न परिशिष्ठ–**'क'** की तालिका–2 के स्तम्भ–2 में उल्लिखित जनपदों एवं मत्स्य निदेशालय हेतु स्तम्भ–10 के विवरणानुसार कुल धनराशि **रू० 69.995 लाख (रूपये उनहत्तर लाख, निन्यानबे हजार मात्र, पाँच सौ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–254/3(150)-2017/XXVII (1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 एवं सुसंगत शासनादेशों में प्रदत्त दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(2) आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु जारी Allotment ID की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(4) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यय की सूचना (कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक) प्रतिमाह 5 तारीख तक बी०एम०–08 प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(6) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(7) किसी भी दशा में एक मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरादायित्व होगा, जो बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

(8) जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्टरूप लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

क्रमशः......2

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र, व्यय विवरण, लाभार्थियों की सूची **फोटोग्राफ** सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) किसी भी क्रय/विक्रय हेतु अधिप्राप्ति (प्रोक्यौरमेन्ट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रहों के अनुसार, आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी०जी०एस०एन०डी० की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–**2405–मछली पालन, 796–जन जाति क्षेत्र उपयोजना, 03–राजि, थारू एवं बोक्सा जनजातियों के लिये फिश फार्मिंग, 20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता मद** के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या– 415 (|)/XV-3/2019-08(24)/2018 (बजट), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार साईबर ट्रैजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद चमोली/पिथौरागढ़/बागेश्वर/उधमसिंहनगर/देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6. राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
7. नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, बजट राजकोषीय एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी०एस० पुण्डीर)
उप सचिव।

परिशिष्ठ—क

शासनादेश संख्या— 415 /XV-3/2019-08(24)/2018, दिनांक 28 जून, 2019 का संलग्नक

1. जन जाति क्षेत्र उपयोजना —राजि, थारू एवं बोक्सा जनजातियों के लिये फिश फार्मिंग योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक भौतिक लक्ष्यः—

क्र0 सं0	जनपद	वर्ष 2019—20				प्रशिक्षण (बैच में)	फील्ड भ्रमण (संख्या में)	सेमिनार / गोष्ठी (संख्या में)
		मैदानी तालाब (हैक्टेयर में)		पर्वतीय तालाब (यूनिट में)				
		निर्माण	निवेश	निर्माण	निवेश			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
1.	चमोली	0	0	16	16	11	10	1
2.	देहरादून	0	0	22	22	14	13	1
3.	पिथौरागढ़	0	0	18	18	12	11	1
4.	बागेश्वर	0	0	04	04	2	1	1
5.	उधमसिंह नगर	2.95	2.95	0	0	11	10	1
6.	मत्स्य निदेशालय	0	0	0	0	0	0	0
	योग	**2.95**	**2.95**	**60**	**60**	**50**	**45**	**5**

2. जन जाति क्षेत्र उपयोजना —राजि, थारू एवं बोक्सा जनजातियों के लिये फिश फार्मिंग योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक वित्तीय लक्ष्यः—

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	वर्ष 2019—20				प्रशिक्षण (बैच में)	फील्ड भ्रमण (संख्या में)	सेमिनार / गोष्ठी (संख्या में)	योग
		मैदानी तालाब (हैक्टेयर में)		पर्वतीय तालाब (यूनिट में)					
		निर्माण	निवेश	निर्माण	निवेश				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1.	चमोली	0	0	9.60	1.92	0	0	0.15	11.67
2.	देहरादून	0	0	13.20	2.64	0	0	0.15	15.99
3.	पिथौरागढ़	0	0	10.80	2.16	0	0	0.15	13.11
4.	बागेश्वर	0	0	2.40	0.48	0	0	0.15	3.03
5.	उधमसिंह नगर	12.39	2.655	0	0	0	0	0.15	15.195
6.	मत्स्य निदेशालय	0	0	0	0	4.25	6.75	0	11
	योग	**12.39**	**2.655**	**36**	**7.2**	**4.25**	**6.75**	**0.75**	**69.995**

(वी0एस0 पुण्डीर)
उप सचिव।

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)
Secretary-Secretary, Fisheries(S014)
HOD-Director Fisheries(4362)

आवंटन पत्र संख्या -415/XV-3/2019-08(24)2018

अनुदान संख्या-031

आवंटन आई डी-S19060310037

आवंटन पत्र दिनांक-28-JUN-2019

लेखा शीर्षक

2405-मछली पालन

796-जन जाति क्षेत्र उप योजना

00-राजि, थारु एवं बोक्सा जनजातियों के लिए फिस फारमिंग

00--

03-राजि, थारु एवं बोक्सा जनजातियों के लिए फिस फारमिंग

Voted

2	4	0	5	0	0	7	9	6	0	3	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	0	6999500	0	6999500
योग	0	6999500	0	6999500

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.69,99,500 (Rupees Sixty Nine Lacs Ninety Nine Thousand Five Hundred Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER